



Neutral Citation No. - 2026:AHC:22329

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 20/2026

विमल चंद्र

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 27 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याची के अधिवक्ता : रंजीत यादव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, मुख्य स्थायी अधिवक्ता।

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के आलोक में, निजी प्रत्यर्थी को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रत्यर्थी इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन चाहने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान याचिका में याची द्वारा मांगी गई मूल राहत प्रत्यर्थी संख्या 2/उप जिलाधिकारी न्यायिक, मड़ियाहूँ, जनपद जौनपुर को वाद संख्या-5860/2025 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या-T202514360605860) को शीघ्रता से निर्णीत करने का निर्देश देने के लिए है।
4. मामला लंबे समय से अवर न्यायालय के समक्ष लंबित है और काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका को संबंधित न्यायालय को उपर्युक्त वाद को कड़ाई से कानून के अनुसार और बिना कोई अनावश्यक स्थगन दिए निर्णीत करने का निर्देश देते हुए निस्तारित किया जाता है, बशर्ते कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

फरवरी 2, 2026

सकलन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"